

[देखिए नियम 69ड, 69ढ(1)(क) तथा 69त(1)(ड)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
.....पुत्र/पुत्री/ पत्नी..... \*वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....  
..... में निर्वाचक है, उसकी निर्वाचक नामावली संख्या..... है, जोकि  
उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वह मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, में मत देने  
में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा उसे किसी मतदान केन्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को ड्यूटी  
पर हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

तिथि .....

मोहर

---

\*समुचित ब्योरे दिये जायें।